4/STA-P(विविध)–13/2016

बिहार सरकार

(परिवहन विभाग)

*****

पत्रांक–4/STA-P(विविध)–13/2016 3095 **पटना, दिनांक:–** 8/5/18

महत्वपूर्ण
ई–मेल

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, भा0प्र0से0
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार।
सभी प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, बिहार।

विषयः– **पर्यटक परमिट लेकर वाहन को स्टेज कैरेज के रूप में प्रयोग करने पर पूर्णतः रोक के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि दूसरे राज्यों में निबंधित वाहन, पर्यटक परमिट प्राप्त कर अंतर्राज्यीय मार्गो पर स्टेज कैरेज के रूप में परिचालित हो रहे हैं।

पर्यटक परमिट प्राप्त वाहनों का स्टेज कैरेज के रूप में परिचालित होना केन्द्रीय मोटर यान नियमावली–1989 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–85 (9) में स्पष्ट प्रावधान है कि पर्यटक परमिट लेकर वाहन को स्टेज कैरेज के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अंतर्राज्यीय मार्गों पर नियमित बस सेवा चलाने हेतु विधिवत दोनों राज्यों के बीच आपसी समझौते द्वारा मार्ग का निर्धारण किया जाता है तथा दोनों राज्यों से एक निश्चित संख्या में परमिट निर्गत कर वाहन का परिचालन किया जाता है।

श्री राजेश कुमार द्वारा दायर वाद संख्या–A458/2017 में राज्य सूचना आयुक्त द्वारा दिनांक–09.03.18 को पारित आदेश में यह निदेश दिया गया है कि इस प्रकार के अवैध परिचालन पर पूर्ण रोक लगाई जाए।

अतः उक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि सघन एवं सतत् जांच द्वारा पर्यटक परमिट प्राप्त वाहनों से केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–85 में वर्णित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में संगत धाराओं के अधीन कार्रवाई की जाय तथा इसकी सूचना मुख्यालय को भी दी जाय।

विश्वासभाजन,
7/5/18
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

4/STA-P(विविध)–13/2016

बिहार सरकार

(परिवहन विभाग)

*****

पत्रांक–4/STA-P(विविध)–13/2016 पटना, दिनांकः–

महत्वपूर्ण
ई–मेल

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, भा०प्र०से०
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार।
सभी प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, बिहार।

विषयः– **पर्यटक परमिट लेकर वाहन को स्टेज कैरेज के रूप में प्रयोग करने पर पूर्णतः रोक के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि दूसरे राज्यों में निबंधित वाहन, पर्यटक परमिट प्राप्त कर अंतर्राज्यीय मार्गों पर स्टेज कैरेज के रूप में परिचालित हो रहे हैं।

पर्यटक परमिट प्राप्त वाहनों का स्टेज कैरेज के रूप में परिचालित होना केन्द्रीय मोटर यान नियमावली–1989 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–85 (9) में स्पष्ट प्रावधान है कि पर्यटक परमिट लेकर वाहन को स्टेज कैरेज के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अंतर्राज्यीय मार्गों पर नियमित बस सेवा चलाने हेतु विधिवत दोनों राज्यों के बीच आपसी समझौते द्वारा मार्ग का निर्धारण किया जाता है तथा दोनों राज्यों से एक निश्चित संख्या में परमिट निर्गत कर वाहन का परिचालन किया जाता है।

श्री राजेश कुमार द्वारा दायर वाद संख्या–A458/2017 में राज्य सूचना आयुक्त द्वारा दिनांक–09.03.18 को पारित आदेश में यह निदेश दिया गया है कि इस प्रकार के अवैध परिचालन पर पूर्ण रोक लगाई जाए।

अतः उक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि सघन एवं सतत् जांच द्वारा पर्यटक परमिट प्राप्त वाहनों से केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–85 में वर्णित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में संगत धाराओं के अधीन कार्रवाई की जाय तथा इसकी सूचना मुख्यालय को भी दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/–
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 3095 पटना, दिनांक– 9/5/18

प्रतिलिपिः– राज्य सूचना आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, चौथा तल्ला, सूचना भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

7/5/18
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

499 | E:\MARUTI SIR\tourist.docx